आदेश ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 397/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

फुलर्टन इण्डिया होम फाइनेन्स कम्पनी लि॰ कार्पोरेट कार्यालय 6, मंजिल, सुप्रीम बिजिनेस पार्क, सुप्रीम सिटी,पोवई मुम्बई । रजिस्टर्ड आफिस मेघा टॉवर तीसरी मंजिल, पुराना नं॰ 307 नया नं॰ 165, पूनामल्ली हाई रोड, मदुरावोयल, चेन्नई, ब्रान्च आफिस पहली एवं दूसरी मंजिल केसर मॉल, 155 ए, टौंक रोड, बापूनगर, ऐपेक्स माल के सामने, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री सूण्डाराम स्वामी पुत्र री कालूदास स्वामी
   पता– श्री बालाजी मिष्ठान भण्डार दुकान नं॰ 20, श्याम नगर, चरण नदी, बेनाड रोड, जयपुर,
   18/4 सी, जमनापुरी मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर
   एवं फ्लेट नं॰ एफ–111,प्रथम फलोर, बालाजी टावर,–तृतीय, प्लाट नं॰ 2, कामर्शियल ब्लाक, सैक्टर नं॰ 5, सोनी हॉस्पीटल के पास ,विद्याद्यर नगर, जयपुर
2. श्रीमती इन्दिरा देवी पत्नी री सुण्डाराम स्वामी
   18/4 सी, जमनापुरी, मुरलीपुरा स्कीम, जयपुर
   एवं फ्लेट नं॰ एफ–111,प्रथम फलोर, बालाजी टावर,–तृतीय, प्लाट नं॰ 2, कामर्शियल ब्लाक, सैक्टर नं॰ 5, सोनी हॉस्पीटल के पास ,विद्याद्यर नगर, जयपुर

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–

1.श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से ।

आदेश दिनांक 16.02.2021

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 30.06.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती इन्दिरा स्वामी के स्वामित्व की सम्पत्ति फ्लेट नं॰ एफ–111,प्रथम फलोर, बालाजी टावर,–तृतीय, प्लाट नं॰ 2, कामर्शियल ब्लाक, सैक्टर नं॰ 5, सोनी हॉस्पीटल के, विद्याद्यर नगर, जयपुर क्षेत्रफल 2543.58 वर्गफिट को वन्धक रख कर कुल 95,50,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 17.07.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया । न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ।

3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 22 जनवरी 2018 से कम संख्या 1 पर सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगणों को 95,50,000/–रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बंधक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल 99,79,498.14/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 17.07.2020 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का बैंक को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती इन्दिरा स्वामी के स्वामित्व की सम्पत्ति फलेट नं. एफ–111,प्रथम फलोर, बालाजी टावर,–तृतीय, प्लाट नं. 2, कामर्शिलय ब्लाक, सैक्टर नं. 5, सोनी हॉस्पीटल के पास ,विद्याधर नगर, जयपुर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करें।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

9. आदेश आज दिनांक **16.02.2021** को सरे इजलास सुनाया गया।

16/2/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर